(ग) क्या सरकार उन सिफारिशों को लागू करने का विचार रखती है, यदि हां, तो समिति की वे सिफारिशें क्या-क्या हैं, जिन्हें लागू किए जाने की संभावना है और कब तक ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सरकार को खादी संस्थाओं के श्रमिकों से, उनकी प्रबंध शैली और जिन सेवा शर्तों पर ये कार्य कर रहें हैं उनके विरुद्ध विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । इन संस्थाओं में कार्यरत बड़ी संख्या में श्रमिकों के हितों व कल्याण को ध्यान में रखते हुए, इन कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने और उपयुक्त उपायों का सुझाव देने के लिए श्री के० सी० सोंधिया की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था ।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

मूलतः कोई इस बात से असहमत नहीं हो सकता है कि किसी स्वायत्तशासी निकाय के कर्मचारियों की सेवा शर्तें तथा पारिश्रमिक उस निकाय के अधिकार क्षेत्र में ही आते हैं । संस्थाओं के आकार में व्यापक भिन्नता, उनके कारोबार के स्तर, उत्पादकता, की गयी बचत आदि को देखते हुए सभी संस्थाओं में एक समान सेवा शर्तें और वेतनमान एवं भत्ते लागू करना संभव नहीं होगा ।

श्रमिकों को संतुष्ट किया जाना चाहिए और उन्हें अधिकतम वेतन इत्यादि दिए जाने चाहिए जिसे संस्था वहन कर सकती हो । यह सब्सिडी के रूप में किसी बाहरी सहायता से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है ।

के वी आई सी कर्मचारियों के साथ पारिश्रमिक को समान करने का प्रश्न नहीं उठता और मांग विचार योग्य नहीं हैं ।

खादी संस्थाओं को ऐसे सभी पदों का वर्गीकरण करना चाहिए जिनकी संस्थाओं के कार्य करने के क्षेत्र में लागू दुकान तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम के अनुसार पहचान की जा सकती है और पिछली सेवा को उचित महत्व देते हुए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वेतन तथा भत्ते निर्धारित किए जाने चाहिए ।

गांधी आश्रमों के लिए दुकान तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप अपने श्रमिकों के वेतन और भत्तों को युक्तियुक्त बनाना संभव होना चाहिए ।

खादी संस्थाओं को युक्तियुक्त बनाने की मांग मान्य नहीं है ।

श्रमिकों के वेतन की पूर्ति के लिए मुनाफे में वृद्धि करने का मामला नहीं है ।

सरकार द्वारा खादी श्रमिकों की सेवा शर्तें निर्धारित किए जाने की मांग विचार योग्य नहीं है ।

खादी श्रमिकों को ई० एस० आई० पी० एफ०, आई० डी० अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि जैसे विभिन्न श्रम कानूनों से छूट दी जानी चाहिए ।

(ग) सोंधिया समिति की खादी संस्थाओं के श्रमिकों से संबंधित सिफारिशों की जांच सरकार द्वारा सभी संबंधित पक्षों के परामर्श से की गयी थी । सचिव (लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग) ने 10 अगस्त, 1992 को एक बैठक की थी जिसमें खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) के अधिकारियों सहित प्रमुख खादी संस्थाओं के श्रमिकों और प्रबंधकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे जिसमें सोंधिया समिति की सिफारिशों के संबंध में कुछ निर्णय लिए गए थे । सरकार ने अपने 3 नवम्बर, 1992 के संकल्प (जिसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था) द्वारा इन निर्णयों को कार्यान्वित करने का संकल्प किया था जो इस प्रकार है :—

(1) क्षेत्र के दुकान तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम के उपबंधों को खादी संस्थाओं पर लागू किया जाएगा ।

(2) के वी आई सी द्वारा तैयार व परिचालित किए जाने वाले "माडल सेवा नियमों" के अनुसार सेवा नियम अपनाये जायेंगे;

(3) प्रबंध में श्रमिकों की कारगर भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी ;

(4) के० वी० आई० सी० को श्रमिकों की छंटनी/निष्कासन के अलग-अलग मामलों की जांच की जायेगी ।

उद्योग स्थापित किए जाने संबंधी आवेदनों को निर्धारित समय-सीमा के अन्दर निपटाया जाना

3237. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक स्थापना से संबंधित आवेदन पत्रों का 60 दिन के अन्दर निपटान करने के लिये कोई नियम बनाया है,

(ख) कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए है,

(ग) 60 दिनों के अन्दर कितने आवेदन-पत्रों का निपटाया गया है, और

(घ) सरकार ने उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है जो 60 दिन के अन्दर आवेदनों का निपटान नहीं कर सके हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सरकार की यह कोशिश होती है कि औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों को साठ दिन के भीतर निपटा दिया जाए ।

(ख) और (ग) औद्योगिक लाइसेंस आवेदन प्राप्त करना और इन्हें निपटाना एक सतत प्रक्रिया है ।

नई औद्योगिक नीति की घोषणा होने के समय से प्राप्ति और निपटान की स्थिति नीचे दी गई है :

	अगस्त, 91—जुलाई, 93
कुल प्राप्त आवेदन	1302
जुलाई, 93 में प्राप्त आवेदन (निपटान का समय नहीं हुआ)	59
जारी किए गए आशय-पत्र	646
अस्वीकृत—लाइसेंस जरूरी नहीं/आवेदन वापस ले लिए	315
शेष	282

लगभग 40% आशय-पत्र आवेदन प्राप्त होने के साठ दिन के भीतर जारी कर दिए गए थे और 57% आशय-पत्र पचहत्तर दिन के भीतर जारी कर दिए गए थे । अस्वीकृत मामलों में प्रायः अधिक समय लग जाता है ।

(घ) औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों को समय पर निपटाने के लिए सभी उपाय किए जाते हैं । किन्तु, देरी हो जाती है यदि आवेदन अपूर्ण है, यदि विनिर्माण की मद के लिए क्षेत्र संबंधी नीति का निर्णय प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाना है अथवा यदि इस मामले में प्रशासनिक मंत्रालय की टिप्पणी उपलब्ध नहीं है ।

औद्योगिक विकास दर

3238. **श्री वीरेन जे० शाह :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में वित्त-वर्ष 1992-93 के दौरान औद्योगिक विकास की दर 1·3 प्रतिशत रहने की संभावना है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का क्या अनुमान है;

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1993-94 की प्रथम तिमाही में भी औद्योगिक विकास की दर में लक्ष्य के अनुसार उत्पादन होने की संभावना नहीं है,

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अनुमान क्या है, और

(ङ) वांछित विकास दर प्राप्त न होने के प्रमुख कारण क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी संशोधित अनुमानों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 1992-93 के दौरान 1.5% वृद्धि देखी गई है ।

(ग) से (ङ) उद्योग मंत्रालय समग्र औद्योगिक उत्पादन के लिए कोई वार्षिक अथवा तिमाही लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है ।

BHEL Officers joining Crompton Greaves

3239. SHRI SUNDER SINGH BHANDARI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the senior officers in the rank of D.G.Ms. and above who resigned or retired from BHEL and joined Crompton Greaves and GEC in the last five years indicating their age, designation/function while in BHEL when they left ;

(b) whether the children of these officers are handling similar products in technical/commercial fields as their parents left BHEL in the above two companies ;

(c) if so, the names of the officers and the period since when they have been posted ; and

(d) whether Government have received complaints that officers mentioned in part (b) have bestowed techno commercial favours to these companies and if so, the action taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI) : (a) to (d) BHEL does not maintain any record about the activities of its former employees.